

प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा

(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12)

गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	29.04.2004
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार को निगमित / पंजीकृत किया गया है	कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, आरओसी – दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U63013DL2004PLC217305
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय का पता: ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए-33, लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली 110035 मुख्य कार्यालय का पता: 4वीं मंजिल, कलेडोनिया बिल्डिंग, संभाजी नगर, सहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई महाराष्ट्र 400069
6.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के समापन की तिथि	20 जनवरी, 2025
7.	कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन प्रारंभ की तिथि	20 जनवरी, 2025
8.	परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रमण्यम IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011
9.	परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी, गोल्फ व्यू कॉर्पोरेट टॉवर बी, सेक्टर 42, गुरुग्राम हरियाणा – 122002 Dinkar.venkatasubramanian@in.ey.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड 4वीं मंजिल, कलेडोनिया बिल्डिंग, संभाजी नगर, सहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई महाराष्ट्र 400069 gofirstcirp@gmail.com लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत करें: www.gofirstclaims.in/liquidation
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19 फरवरी, 2025

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली बेंच ने 20.01.2025 को गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड के हितधारकों से अनुरोध है कि वे 19 फरवरी, 2025 तक या उससे पहले मद संख्या 10 में उल्लिखित पते पर परिसमापक को प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी स्ट्रेकधारक व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

यदि कोई हितधारक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान अपने दावे प्रस्तुत नहीं करता है, तो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान ऐसे हितधारक द्वारा प्रस्तुत दावे धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए माने जाएंगे।

दिनांक: 25-01-2025

स्थान : दिल्ली

हस्ता/-

श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रमण्यम